न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान—2023 कोर्ट केम्प उण्डखा

राजस्व आवेदन संख्या :— 50 / 2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 अर्जुन 2 सवाई 3 हरलाल 4 पदमा पिसरान राणा जाति राईका निवासी जोगनगर (उण्डखा) तहसील व जिला बाडमेर।		1 आदूराम 2 पदमाराम 3 भूराराम 4 हरलाल 5 हीराराम पिसरान मेहराराम 6 दुर्गा पुत्र शिवजी 7 मीरों पत्नी शिवजी 8 कोहला 9 गेमरा 10 तगा पिसरान वगता जाति राईका निवासी जोगनगर (उण्डखा) तहसील 11 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :—

1 प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण।

2 पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनांक 19.05.2023

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 10 के पूर्वज शम्भूराम पुत्र जोराराम की पैतृक खातेदारी का खेत मौजा उण्डखा पटवार हल्का उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 50 रकबा 384.03 बीघा, खसरा संख्या 53 रकबा 14.10 बीघा भूमि, खसरा संख्या 53 / 2 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 63 रकबा 25.07 बीघा, खसरा संख्या 52 रकबा 47.19 बीघा, खसरा संख्या 62 रकबा 20.15 बीघा, खसरा संख्या 48 रकबा 0.04 बीघा व खसरा संख्या 49 रकबा 0.19 बीघा भूमि के आये हुए है। शम्भूराम ने अपने पुत्रों एवं पोत्रों को अपनी खातेदारी भूमि का विभाजन कर खातेदारी में अलग—अलग दर्ज करवा दी, जिसके विभिन्न नामान्तकरण भी पारित किये जाकर जमाबन्दी में अंकन भी हो गया है। उक्त अंकन के पश्चात लठ्ठा ट्रेस में तरमीम का अंकन करते समय राजस्व अधिकारियों द्वारा न तो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की जांच की और न ही प्रार्थीगण के रूबरू लठ्ठा ट्रेस तरमीम की गई, जिसके कारण अप्रार्थीगण की ढाणियां, टांके इत्यादी प्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित हो गये, इस प्रकार प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 117 / 50 रकबा 19.9914 हैक्टेयर भूमि लठ्ठा ट्रेस में अंकित विभाजन व कब्जे काश्त के विपरित पटवारी हल्का द्वारा गलत तरमीम कर दी गई। उक्त भौतिक तरमीम के विपरित तरमीम के अनुसार विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा उण्डखा पटवार हल्का उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 117 / 50 रकबा 19.9914 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए प्रार्थीगण के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने का आदेश फरमावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 10 के पूर्वज शम्भूराम पुत्र जोराराम की पैतृक खातेदारी का खेत मौजा उण्डखा पटवार हल्का उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 50 रकबा 384.03 बीघा, खसरा संख्या 53 रकबा 14.10 बीघा भूमि, खसरा संख्या 53 / 2 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 63 रकबा 25.07 बीघा, खसरा संख्या 52 रकबा 47.19 बीघा, खसरा संख्या 62 रकबा 20.15 बीघा, खसरा संख्या 48 रकबा 0.04 बीघा व खसरा संख्या 49 रकबा 0.19 बीघा भूमि के आये हुए है। शम्भूराम ने अपने पुत्रों को अपनी खातेदारी भूमि का विभाजन कर खातेदारी में

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

अलग–अलग दर्ज करवा दी, जिसके विभिन्न नामान्तकरण भी पारित किये जाकर जमाबन्दी में अंकन भी हो गया है, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा कब्जा काश्त अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम नही कर गलत तरमीम कर दी गई। लिहाजा प्रार्थीगण के साथ अप्रार्थीगण के मौजा जोगनगर के खसरा संख्या 115/50, 117/50, 118/50, 116/50, 196/53 व 197/53 के लठ्ठा ट्रेस में तरमीम मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रशासन गांवों के संग अभियान कोर्ट केम्प उण्डखा में उभय पक्षों को आवाजे लगाइ गई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 10 के पूर्वज शम्भूराम पुत्र जोराराम की पैतृक खातेदारी का खेत मौजा उण्डखा पटवार हल्का उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 50 रकबा 384.03 बीघा, खसरा संख्या 53 रकबा 14.10 बीघा भूमि, खसरा संख्या 53/2 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 63 रकबा 25.07 बीघा, खसरा संख्या 52 रकबा 47.19 बीघा, खसरा संख्या 62 रकबा 20.15 बीघा, खसरा संख्या 48 रकबा 0.04 बीघा व खसरा संख्या 49 रकबा 0.19 बीघा भूमि के आये हुए है, जिसकी वर्तमान लठ्ठा ट्रेस में तरमीम गलत है, जिसे मौके पर कब्जा काश्त अनुसार शुद्ध करवाने का निवेदन किया।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व दस्तावेज जमाबन्दी संवत 2076–2079, नक्शों एवं नामान्तकरण की प्रतिलिपियों का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेजों के मद्देनजर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा उण्डखा पटवार हल्का उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 50 रकबा 384.03 बीघा, खसरा संख्या 53 रकबा 14.10 बीघा भूमि, खसरा संख्या 53/2 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 63 रकबा 25.07 बीघा, खसरा संख्या 52 रकबा 47.19 बीघा, खसरा संख्या 62 रकबा 20.15 बीघा, खसरा संख्या 48 रकबा 0.04 बीघा व खसरा संख्या 49 रकबा 0.19 बीघा भूमि की वर्तमान तरमीम उभय पक्षों के कब्जा काश्त अनुसार नही होने से तथा अशुद्ध होने से वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बाडमेर को उभय पक्षों की उपस्थिति में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा उण्डखा पटवार हल्का उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 50 रकबा 384.03 बीघा, खसरा संख्या 53 रकबा 14.10 बीघा भूमि, खसरा संख्या 53/2 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 63 रकबा 25.07 बीघा, खसरा संख्या 52 रकबा 47.19 बीघा, खसरा संख्या 62 रकबा 20.15 बीघा, खसरा संख्या 48 रकबा 0.04 बीघा व खसरा संख्या 49 रकबा 0.19 बीघा भूमि की वर्तमान लठ्ठा ट्रेस में तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार बाडमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं मौके पर जाकर उभय पक्षों की उपस्थिति में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) करे तथा तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी बाडमेर

आदेश आज दिनांक 19/05/2023 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी